रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931
No. 673] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 841(अ).— कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुवाड़ बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2009 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं.सा.का.नि.401(अ) तारीख 4 जून, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 12 जून, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुवाड़ बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ;

(3) वे पुवाड़ पौध या लेग्यूमिनोसी परिवार के कासिया टोरा पादप की फली से प्राप्त पुवाड़ बीजों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :-

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार पुवाड़ बीज के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाए;

(ग) "प्राधिकृत प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को श्रेणी अभिधान चिन्ह से पुवाड़ बीज के श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने का प्राधिकार देता है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ङ) श्रेणी अभिधान चिह्न से नियम 5 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" होगा;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. **श्रेणी अभिधान** – पुवाड़ बीज की गुणवत्ता उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड अनुसूची 2 के स्तंभ 1 में वर्णित किए गए के अनुसार होंगे ।

4. **क्वालिटी** - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पुवाड़ बीजों की क्वालिटी अनुसूची 2 में दिए गए के अनुसार होगी ।

5. **श्रेणी अभिधान चिन्ह** :- श्रेणी अभिधान चिन्ह में प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा ।

6. **पैकिंग की पद्धति** :- (1) पुवाड़ बीज को टाट, जूट के बने थैलों, पॉलीवोवन थैलों, पॉली, पाउच, कपड़े के थैलों, लैमिनेटिड पौलीथिलिन या उच्च सघनता वाले पॉलीथिलीन से विलेपित कागज के थैलों या नए अन-मेंडेड बी-ट्विल थैलों या ऐसे किसी अन्य खाद्य श्रेणी सामग्री की इनर लाइनिंग वाले ऐसी किसी अन्य पैकेजिंग साम्रमी में पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो;

(2) पैकिंग सामग्री साफ, ठोस और किसी कीट ग्रस्तता या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और किसी अवांछनीय या असहनीय गंध से भी मुक्त होगी;

(3) पुवाड़ बीज कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पैक साइज में पैक होंगे ।

(4) समान लाट या बैच के छोटे पैक साइज के श्रेणीकृत सामग्री को श्रेणी अभिधान चिन्ह के साथ उसके पूरे ब्यौरों सहित मास्टर आधान में पैक किया जाएगा;

(5) प्रत्येक पैक में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के पुवाड़ बीज होंगे ।

(6) प्रत्येक पैक उचित रूप से और सुरक्षित रूप में बंद और सील किए जाएंगे । बोरे के मुँह पर सिलाई की जाएगी और जिससे उसकी रिसन/बिखराव को रोका जा सके ।

7. **चिन्हांकन की पद्धति** – (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसरण में इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकिंग में सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा, मुद्रित होगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रूप में चिन्हांकित होंगी :-

(क) पैकर का नाम और पता ;
(ख) पैकिंग या विनिर्माण का स्थान ;
(ग) पैकिंग की तारीख ;
(घ) किस्म या वाणिज्यिक नाम (वैकल्पिक)
(ङ) फसली वर्ष (वैकल्पिक)
(च) श्रेणी ;
(छ) शुद्ध भार ;
(ज) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित) और ;
(झ)............मास............वर्ष के पूर्व उपभोग सर्वोत्तम

(3) पैकेजों पर चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी गुणवत्ता वाली होगी जो उत्पाद को संदूषित न करे ।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार आधान पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित न करता हो ।

8. **प्राधिकार प्रमाणपत्र के लिए शर्तें** :- (1) प्रत्येक प्राधिकृत पैकर समय समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत पैकर पुवाड़ बीज की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ;

(3) प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैकिंग के लिए परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ;

(4) परिसरों में पक्के फर्श, प्रकाश और वायु के लिए बेहतर संवातन वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी तथा वह कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से वे मुक्त होंगे ;

(5) प्राधिकृत पैकर और प्राधिकृत रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का संपेक्षण करेंगे ।

अनुसूची - 1
(नियम 5 देखिए)

एगमार्क प्रतीक का डिजाइन

वस्तु का नाम..............................
श्रेणी......................................

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4देखिए)

पुवाड़ बीज (कासिया टोरा) की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

1. पुवाड़ बीज को लीगोमीनोसी परिवार के स्वच्छ स्वस्थ और परिपक्व फली/सेम से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

2.(1) **पुवाड़ बीज की न्यूनतम अपेक्षाएं होंगी :-**

(क) अविकल, पके हुए, स्वच्छ और सूखे बीजों का होगा ;
(ख) वस्तु के रंग और विशेषताओं वाला होगा ;
(ग) जीवित और मृत कीटों, कीट गंध, फफूंदी, लारवा से मुक्त होगा ;
(घ) कवक से ग्रसत फफूंद से मुक्त होगा ;
(ङ) मिलाए गए कृत्रिम रंजक पदार्थ आदि से मुक्त होगा ;
(च) कृंदत बाल और मूलमूत्र से मुक्त होगा ;
(छ) एरगीमोनी मैक्सीकोना (लिन.) के विषैले बीजों और अन्य विषैले अपतृणों से मुक्त होगा ;
(ज) विकृतगंधी और भुकड़ी से मुक्त होंगे ;
(झ) जब बीजों को पीसा और भिगोया जाए तो बीजों की गरमी और सुवास ताजा होगी ;
(ञ) आक्षेपनीय स्वाद तथा वासक से मुक्त होंगे ।

(2) पुवाड़ बीजों को खाद्य के रूप में उपभोग की दशा में, भारी धातुओं, कीटनाशियों और नाशकजीवमारों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों और घरेलू प्रयोजनों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथाविहित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडो का अनुपालन करेगी ।

(3) पुवाड़ बीजों को खाद्य के रूप में उपभोग की दशा में, भारी धातुओं, कीटनाशियों और निर्यात के लिए कोडेक्स एलिमेनटस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य सुरक्षा मापदंडो का अनुपालन करेगा ।

3.श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड :

सारणी

श्रेणी अभिधान	विशेष अभिलक्षण									
	विजातीय पदार्थ		टूटे हुए बीजों का प्रतिशत द्रव्यमान द्वारा (अधिकतम)	अधिकतम घनत्व (द्रव्यमान/आयतन) (न्यूनतम)	कीट संक्रमित बीजों का प्रतिशत द्रव्यमान द्वारा (अधिकतम)	कुल भष्म प्रतिशत (अधिकतम)	नमी का % (अधिकतम)	अम्ल में घुलनशील भष्म (अधिकतम)	प्रोटीन प्रतिशत (न्यूनतम)	अपरिपक्व रेशो प्रतिशत (अधिकतम)
	कार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम	अकार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	2.0	0.5	3.0	0.85	3.0	7.0	8.0	1.0	18.0	11.0
मानक	3.0	1.0	4.0	0.80	4.0	8.0	9.0	2.0	16.0	13.0
साधारण	3.0	2.0	5.0	0.75	5.0	9.0	10.0	2.0	14.0	15.0

4. अन्य अपेक्षाएं :-

(i) पुवाड़ बीज की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें:-

(क) परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए और

(ख) गंतव्य स्थान में समाधानप्रद दशा में पहुंचने के लिए ।

(ii) पुवाड़ बीज स्वच्छ और स्वास्थयप्रद दशा में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए--

(क) विजातीय पदार्थ से निम्नलिखित अभिप्रेत है--

(i) कार्बनिक वस्तु जो पुवाड़ बीज से भिन्न पत्तियां, टहनी, तने कार्बनिक पदार्थ से बना है ।

(ii) गैर कार्बनिक पदार्थ, जो धात्विक टुकड़ों, बजरी, धूल, गुटका, पत्थर, भू के टुकड़े, मृदा और कीचड़, पशु गंदगी से बना है ।

(ख) कीट प्रभावी बीज से ऐसे बीज अभिप्रेत है जो पूर्णतः और भागतः घुन द्वारा उत्पन्न या खाए जाते हैं ।

(ग) संपूर्ण बीज से परिपक्व ठोस और स्वच्छ बीज अभिप्रेत है ।

(घ) क्षतिग्रस्त बीज से गिरी या गिरी के टुकड़े अभिप्रेत हैं जो ऊष्मा, जीवाणु और नमी के परिणामस्वरूप आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं ।

[फा. सं. 18011/6/2008/एम-II]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2009

G.S.R. 841(E).— Whereas the draft of the Puwad Seeds Grading and Marking Rules, 2009, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.401(E), dated the 4th June,2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas the copies of the said notification were made available to the public on the 12th June, 2009, and whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937(1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-